



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! सम्पदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक ९४.....

दिनांक 30/4/2012

विषय:-भाड़ाकय आधार पर आबंटित आवासीय संपत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 की पद संख्या क्रमांक 24 पर पारित संकल्प क्रमांक 978-24/35/04/2012 द्वारा मण्डल के हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भू-खण्ड भाड़ाकय पर आबंटित है और किन्ही विशेष कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही है। दाण्डिक ब्याज में छूट दिनांक 31.07.2012 तक लागू रहेगा।

भाड़ाकय आधार पर आबंटित भवन/भू-खण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक 01.05.2012 से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा :-

1. एच.आई.जी. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 40 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 30 % छूट की पात्रता होगी ।

2. एम.आई.जी. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 75 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 60 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 40 % छूट की पात्रता होगी ।

3. एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भू-खण्ड के हितग्राहियों के लिए :-

- माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 100 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 80 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 60 % छूट की पात्रता होगी ।

क्रमशः...2.....

//2//

4. व्यवसायिक भवन/भू-खण्ड, स्कूल भवन/भू-खण्डों हेतु :-

- माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 50 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 40 % छूट की पात्रता होगी ।
- माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दायिदक ब्याज में 30 % छूट की पात्रता होगी ।

निर्धारित तिथि के पश्चात् मण्डल नियमों में प्रावधान अनुसार भवन/भू-खण्ड/व्यवसायिक भवन/भू-खण्ड/स्कूल भवन/भू-खण्ड की बकाया राशि की वसूली करेगा।

समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलानी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार



आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 30/4/2012

पृ. क्रमांक/263/आ.आ./सं.शा./2012
प्रतिलिपि :-

- निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
- निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
- मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- उपायुक्त-I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि.संभाग
आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।



आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर